International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 13 Issue 08, August 2023,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

पंचायती राज में महिला नेतृत्व एवं सहभागिता की स्थिति, एक अध्ययन

डॉ0 सुशीला , असिस्टेन्ट प्रोफेसर
कुमारी मायावती राजकीय महिला
स्नातकोत्तर महाविद्यालय बा.दलपुर ,गौतम बुध नगर
नम्रता सिंह , शोधार्थिनी
समाजशास्त्र विभाग
कुमारी मायावती राजकीय महिला
स्नातकोत्तर महाविद्यालय बा.दलपुर ,गौतम बुध नगर

सारांश–

पंचायती राज संस्थायें ग्रामीण विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन के रूप में जानी जाती है। इनकी कुशलता नेतृत्व की प्रकृति पर निर्भर करती है। विकास परियोजनाओं में जन सहभागिता को प्राप्त करने के लिये इन संस्थाओं को प्राचीन काल से ही कहा गया है। इनका गठन समाज के उच्च वर्ग से सम्बन्धित वृद्ध सदस्यों द्वारा होता था। महिलाओं को इनके सदस्य होने के प्रमाण नहीं है। इन संस्थाओं में पुरूषों की सदस्यता, मनोनयन या परम्पराओं द्वारा स्वतः ही प्राप्त होती थी। इन संस्थाओं को न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन पंचायतों के इस स्वरूप में निरन्तर परिवर्तन आता रहा है। मुगल एवं ब्रिटिश काल में इनकी भूमिका न्यायिक न रह कर प्रशासनिक उद्दश्यों की पूर्ति करने वाली हो गयी। प्रबन्धात्मक पक्ष गौड़ हो गया है। मुगल बादशाहों ने इसे भू–प्रबन्ध की संख्या के रूप में देखा तो अंग्रेजों ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिये इसे पुनर्जिवित करने का प्रयास किया। दोनों ही कालों में इसका स्वरूप प्रजातांत्रिक नहीं रहा।

वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति में लगातार परिवर्तन आ रहे है। जिसका मुख्य कारण महिलाओं अनेकानेक कानूनी व्यवस्थाओं से उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के साथ ही साथ उनके लिये सरकार द्वारा अनेक विकास कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है ताकि उनके जीवन में सुधार आ सके तथा विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

पंचायती राज में महिलाओं का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। आज देश में 2.5 लाख पंचायत में लगभग 32 लाख प्रतिनिधि चुनकर आ रहे है। इनमें से 14 लाख (45.15 प्रतिशत) से भी अधिक महिलायें चुन कर आयी है। यह आंकड़ा यह बताने के लिए पर्याप्त है कि किस तरह से महिलायें राजनीतिक कार्यो में सहभागिता कर रही है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी न केवल महिलाओं के खुद के स्वाभिमान के लिये सकारात्मक संकेत है बल्कि इससे भारत के गांवों में फैली असमानता भी दूर होगी।

Key Words – जन सहभागिता, मनोनयन, प्रशासनिक उद्देश्य, पुर्नजीवित, प्रबन्धात्मक, प्रजातांत्रिक कल्याणकारी योजनायें।

परिचय – किसी भी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब वहां की महिलाये विकसित हों। महात्मा गाँधी ने कहा था कि ''अगर घर के किसी कोने में गड़ा खजाना अचानक मिल जाये तो कितनी खुशी होगी। महिला शक्ति सुस्त पड़ी है, अगर भारत में महिलायें जाग जायें तो वे इसी प्रकार विश्व को चकाचौंध कर देंगी। इस क्रम में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 13 Issue 08, August 2023,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

ने कहा था कि – ''समाज में स्त्री का बड़ा महत्व है, जिस घर परिवार में स्त्री शिक्षित–प्रशिक्षित हो, उनके बच्चे सदा ही उन्नति के पथ पर अग्रसर रहते है। वह सुन्दर परिवार की निर्मात्री है, जब तक हमारे आन्दोलनों में महिलायें भी भरपूर हिस्सा नहीं लेंगी, तब तक हमारा आन्दोलन कभी सफल नहीं हो सकता।''

ग्राम विकास में महिला नेतृत्व एवं सशक्तिकरण का अभिप्राय महिलाओं को पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनैतिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में उनके परिवार समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वतंत्रता से है। महिलाओं में इस प्रकार की क्षमता का विकास जिसमे वे अपने जीवन का निर्वाह इच्छानुसार कर सकने में सक्षम हो एवं उनके अन्दर आत्मविश्वास और स्वाभिमान को जागृत करना है।

अध्ययन के उद्देश्य–

1. पंचायती राज के माध्यम से सशक्त देश की स्थिति का अध्ययन करना।
2. भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त महिला अधिकारों की वस्तु स्थिति ज्ञात करना।
3. महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से नेतृत्व क्षमता की वस्तुस्थिति ज्ञात करना।

सशक्त पंचायत सशक्त राष्ट्र–

पंचायती राज के माध्यम से लाखों स्त्रियों का जो लोकतांत्रिक प्रशिक्षण हो रहा है वह अंततः हमारी समग्र राजनीति के चरित्र को प्रभावित कर रहा है। पंचायती राज में महिलाओं का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। आज देश में 2.5 लाख पंचायतों मे लगभग 32 लाख प्रतिनिधि चुन कर आ रहे है। इनमें 14 लाख (45.15%) से भी अधिक महिलायें चुन कर आई है। यह आंकड़ा बताने के लिये पर्याप्त है कि किस तरह से महिलायें राजनीतिक कार्यों में सहभागिता कर रही हैं। महिलाओं की गाँव के कामों में बढ़ती भागीदारी न कर महिलाओं के खुद के स्वाभिमान के लिये सकारात्मक संकेत है बल्कि इससे भारत के गांवो में फैली असमानता भी दूर होगी। खासतौर पर लिंग के आधार पर किये जाने वाली गैर बराबरी अब संभव नहीं रह गयी है। महिलाओं का बढ़ता कद उन्हें घर और बाहर की दुनिया में स्वतंत्र होकर जीने में सहयोग प्रदान कर रहा है। दहेज के नाम पर महिलाओं का उत्पीड़न हो या घरेलू हिंसा इन तमाम कुरीतियों से आज की महिला लड़ने में सशक्त हो चुकी है।

भारतीय संविधान में प्रदत्त राजनीतिक अधिकार –

प्रत्येक महिला एवं वयस्क लड़की को चुनाव की प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भागीदारी करने और स्वविवेक के आधार पर वोट देने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी संविधान सम्मत योग्यता रखने पर किसी भी चुनाव में उम्मीदवारी कर सकती है।

पंचायती राज में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था से महिलाये राजनैतिक रूप से भी सशक्त हुई है और उनकी निर्णय लेने की क्षमता का विकास भी हुआ। पंचायती राज संस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है जो कि अब 42 प्रतिशत से अधिक हो गयी है। महिलाओं को पंचायत में 50 प्रतिशत आरक्षण देने वाला अग्रणी (सर्वप्रथम) राज्य बिहार है, आज की स्थिति से 15 प्रमुख बड़े राज्यों में यह विधेयक पास किये गये है। महिला साक्षरता 65 प्रतिशत हो गयी है और उनमें जागरूकता भी बढ़ी है। अब केबिनेट ने 110वें संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत महिलाओं के

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 13 Issue 08, August 2023,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

लिये पंचायती राज संस्था में आरक्षण 50 प्रतिशत कर दिया जायेगा। इस संवैधानिक संशोधन के साथ ही निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या में और अधिक वृद्धि होगी।

संविधान संशोधन का मसौदा पंचायतों को नौंवी अनुसूची में रखने के लिये तैयार किया गया। निष्कर्ष के रूप में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा सदस्यों और अध्यक्षों के एक तिहाई पर महिलाओं के लिये आरक्षित करके उनको स्थानीय शासन में सक्रिय भागीदारी प्राप्त हुई है। इस प्रावधान के कारण महिलाओं की क्षमता उजागर हुई है, जो भविष्य में भारत की राजनीति को नया मोड़ दे सकती है।

महिलाओं का सशक्तिकरण –

पंचाती राज में महिला सहभागिता का क्षेत्रीय नेतृत्व उस क्षेत्र में स्त्रियों की दशा का दर्पण है। उस क्षेत्र का सामाजिक–पारिवारिक परिवेश तथा परिस्थितियों से महिला नेतृत्व की स्थिति स्पष्ट होती है। महिलाओं में साक्षरता की दर बढ़ रही है। गांवों मे भी बालिका शिक्षा का चलन हो रहा है। महिलायें अब अल्प एवं छोटे परिवार की आदी हो रही है। अब महिलाये भी भ्रूण हत्या को रोकने में सजग है। बाल मृत्यु भी कम हो रही है।

ग्रामीण नेतृत्व की श्रेणी में 30–45 वर्ष की महिलायें ज्यादातर निर्वाचित होकर काम कर रही हैं। वे अब शैक्षणिक स्थिति को बढ़ाने की दिशा में सोच रही है। महिलाओं में राजनीतिक जागृति और प्रशासनिक क्षमताओं का विकास होने लगा है।

पंचायती राज के माध्यम से महिलाओं की नेतृत्व की क्षमतायें सामने आई है। विभिन्न सामाजिक योजनाओं की प्रगति से गांवों के आर्थिक सामाजिक जीवन में काफी बदलाव हुआ है। गांव नये भारत के बाजार के रूप में उभर रहे है। पंचायतों के जरिये विभिन्न सामाजिक योजनायें सीधे–2 गांव और ग्रामीणों तक जुड़ पा रही है। अब सरकार की कोशिश है कि इन संस्थाओं को और अधिकार दिये जायें ताकि यह न केवल वित्तीय रूप से मजबूत हो, बल्कि बेहतर कामकाज के लिये प्रोत्साहित भी हो ताकि देश के आर्थिक विकास में गांव अधिक से अधिक योगदान कर सकें।

वर्तमान पंचायती राज प्रणाली की कुछ कमियॉ भी है जिन्हें दूर करना बेहद जरूरी है। इन संस्थाओं की सफलता पंचायत प्रतिनिधि एवं विकास अधिकारियों की जागृति, ईमानदारी, कुशलता, विवेक, मंशा और सरकारी अनुदान पर निर्भर है जबकि प्रणाली वह अच्छी मानी जाती है जिसमें व्यक्ति कैसा भी हो प्रणाली उसे ईमानदारी, कुशलता अच्छी मंशा, सदविवेक, सक्षमता व स्वावलम्बन के साथ कार्य करने को बाध्य करती है।

वर्तमान में पंचायती राज गांवों को प्रशासनिक एवं क्रियान्वयन इकाई बनाने पर जोर दे रहा है। जबकि गॉव मूल रूप से एक सांस्कृतिक इकाई है।

ऐसे में गांवों ने शहरों की बुराइयाँ तो अपना ली हैं, लेकिन अपनी अच्छाइयों की रक्षा करने में अब वह असमर्थ सिंह हो रहे है। विकास की दौड़ में हमें अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिये और न ही अपनी सांस्कृतिक विरासत को। पंचायतों के माध्यम से इस कार्य को अंजाम देने के लिये प्रयास किये जाने चाहिये। भारत सरकार की आदर्श ग्राम योजना इसको बेहतरीन अंजाम देने में सक्षम हो रही है। अपितु ग्रामीण विकेन्द्रीकरण और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा भारतीय ग्रामीण संस्थागत परिदृश्य में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 13 Issue 08, August 2023,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

राज्यवार पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का विवरण

क्र0सं0	राज्य	पंचायतों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	22945
2.	असमय	2431
3.	बिहार	9040
4.	छत्तीसगढ़	9982
5.	हिमाचल प्रदेश	3330
6.	झारखण्ड	3979
7.	कर्नाटक	5833
8.	केरल	1165
9.	मध्य प्रदेश	23412
10.	महाराष्ट्र	28277
11.	ओडिशा	6578
12.	राजस्थान	9457
13.	त्रिपुरा	540
14.	उत्तराखण्ड	7335
15.	पं0 बंगाल	3713

स्त्रोत : लोकसभा में प्रश्न संख्या– 3797 (22.5.13) के सन्दर्भ में दिया गया उत्तर।

सामने आई महिलाओं की नेतृत्व क्षमता –

विश्व के अनेक देशों का अनुभव रहा है कि ग्रामीण एवं राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को चुनावों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। इस प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के बेहतर अवसर स्थानीय स्वशासन में या विकेन्द्रीकरण के संस्थानों में मिल सकते है। इस दृष्टि से भारत का उदाहरण महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि यहाँ के पंचाती राज में महिलाओं के लिये आरक्षण के कारण विश्व में स्थानीय स्वशासन के स्तर पर सबसे अधिक महिलायें भारत में ही निर्वाचित होती है।

विभिन्न सफल महिला नेतृत्व की पंचायतों के अध्ययन से यह सामने आया है कि महिलाओं को नेतृत्व में आगे ले जाने से विकास कार्यों को अधिक निष्ठा एवं ईमानदारी से आपसी मेलजोल से कार्य करने, हरियाली बढ़ाने एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देने तथा नशा कम करने जैसे सामाजिक सुधारों को प्राथमिकता देने में सफलता मिलती है। साधारण ग्रामीण महिलाओं का पंचायत से जुड़ाव बढ़ता है। इस तरह पंचायतों में महिला नेतृत्व की बढ़ती सफलता महिलाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से ही नहीं अपितु विकास कार्यों एवं समाज सुधार में प्रगति की दृष्टि से भी एक सराहनीय उपलब्धि है।

पंचायतों को सशक्त करने के लिये किये गये इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण मनरेगा, क्योंकि इस अधिनियम को लागू करने के लिये पंचायते मुख्य संस्थाये है। यही नहीं 50 अरब की लागत के प्रोजेक्ट ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किये जायेगें। अभी हाल में केन्द्र

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 13 Issue 08, August 2023,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत करने की पहल महिलाओं के सशक्त करने की प्रक्रिया को और मजबूत करेगी।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरूआत बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट से हुई थी। अगर महिलायें स्वयं चुनकर नहीं आती है तो दो महिलाओं को पंचायत का सदस्य बना दिया जाये। इसका अर्थ हुआ कि महिलाओं को इस योग्य नहीं समझा गया कि वे पंचायत के कार्यों को कर सकेंगी। यह पुरूषवादी सोच का ही परिणाम है कि महिलाओं को लालन–पालन के अलावा किसी योग्य नहीं समझा जाता। अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट ने भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये कोई खास प्रयास नहीं किये। इस समिति ने संविधान में संशोधन का मसौदा तैयार तो किया था, लेकिन उसमें महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान नहीं किया। बाद में कुछ राज्य जैसे– कर्नाटक, केरल एवं पश्चिम बंगाल ने राज्य स्तर पर राजनीतिक इच्छा दिखाकर पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की।

समाज में महिला प्रधान की बदलती तस्वीर –

पंचातों में महिला आरक्षण के लागू होते ही, महिलायें पंचायतों में चुनकर आई थी। लेकिन पंचायत के काम उनके रिश्तेदार संभालते थे। महिला आरक्षण और महिला सशक्तिकरण के सारे सपने ध्वस्त होते से प्रतीत हुये थे, लेकिन धीरे–धीरे स्थिति बदली और अब पंचायतों से चुनी जाने वाली महिलायें अपने पुरूष रिश्तेदारों के हाथ की कठपुतलियाँ मात्र नहीं रह गई है। अब वे आगे बढ़कर फैसले ले रही है और महिला सशक्तिकरण के स्वप्न को साकार कर रही है। आज राजनैतिक रूप से जागरूक महिलायें पंचायतों के चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीतकर स्वतंत्र रूप से फैसले ले रही है। पंचायतों में अब जो महिलाये चुनकर आ रही है, उनमे ज्यादातर युवा एवं पढ़ी–लिखी है। वे यह भ्रम तोड़ रही है कि पुरूषों के मुकाबले महिलाओं की राजनैतिक कार्यक्षमता कम होती है।

राजनैतिक चुनौतियों का यह विश्लेषण बताता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की वांछित भागीदारी नहीं है। विधायिका के अलावा न्याय पालिकाओं में उनकी संख्या नगण्य है। राज्य पंचायती राज अधिनियमों में अनेक कमियाँ है, जो पंचायतो को स्वायत्तशासी संस्था बनाने में बाधा डालती है। पंचायत चुनाव में चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान एवं बाद में हिंसा, जात–पात गुटबाजी का वातावरण महिलाओं को निरूत्साहित करता है। इसका मुख्य कारण राजनैतिक है। पंचायती राज संस्थाओं में 50 फीसदी महिला आरक्षण की व्यवस्था से महिलाओं में अधिक आत्मविश्वास जागा है और इससे समाज में क्रान्तिकारी बदलाव और सुधार आ रहा है। केन्द्र व राज्य स्तर पर अनेक प्रयास ने भी मुश्किल खड़ी की है। गरीबी भी महिलाओं के लिये कम महत्वपूर्ण समस्या नहीं है। परिवार यदि गरीब है तो सबसे ज्यादा बोझ महिलायें ही उठाती है। महिला पंचायत प्रतिनिधियों का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है। महिलाओं की आर्थिक रूप से बिगड़ती स्थिति पर एक प्रहार नई आर्थिक नीति ने किया।

माना कि महिलाओं के सामने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक सीमायें है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको दूर नहीं किया जा सकता या समाधान सम्भव नहीं। महिलाओं की गरीबी दूर करने के लिए विभिन्न ग्रामीण विकास व उन्मूलन कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम व अन्य जीवन गुणवत्ता कार्यक्रम चलाये जा रहे है, जिसमे महिलाओं को

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 13 Issue 08, August 2023,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

विशेष प्रावधान है। इसके द्वारा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आयेगा। चूंकि ये कार्यक्रम पंचायत द्वारा ही लागू किये जायेगें, जिसमे महिला स्वयं भागीदार है, इसलिये आशा की जाती है कि इनके कार्यान्वयन में सुधार आयेगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव महिलाओं पर पड़ेगा।

पंचायतों में महिलाओं के अधिकारों, शक्तियों व उत्तरदायित्वों के बारे में, पंचायत की कार्यवाही करने के लिये विभिन्न नियमों एवं कानूनों के बारे में वित्तीय व गैर वित्तीय संसाधन इकटठा करने के बारे में तथा विकेन्द्रीकरण योजना तैयार करने के बारे में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं विभिन्न स्वैच्छिक संस्थायें है जिसके ग्रामीण विकास व महिलाओं की मुखरता पर अच्छे प्रभाव पड़े। अस्सी के दशक में यह बात साफतौर पर सामने आई कि बिना महिलाओं की भागीदारी के सम्पूर्ण ग्रामीण विकास सम्भव नहीं है।

महिला परिप्रेक्ष्य योजना (1988–2000) में सिफारिश की गई कि महिलाओं के लिये पंचायतों में 30 प्रतिशत पर आरक्षित होने चाहिये। इस योजना की सिफारिशों व विभिन्न महिला मंचों, संस्थाओं और इस क्षेत्र में कार्यरत बुद्धजीवियों के प्रयासों से महिला की सदस्य व अध्यक्ष पद के लिये आरक्षण प्राप्त हुआ। इस प्रावधान से महिलाओं की दमित ऊर्जा को उजागर किया, जो निकट भविष्य में भारतीय राजनीति को नया मोड़ दे सकेगी।

पंचायत चुनाव से पहले भ्रांतियाँ पैदा की जा रही थी कि चुनाव लड़ने के लिये कहाँ से आयेगी महिलायें। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। जब चुनाव सम्पन्न हुये तो पाया कि कुछ राज्यों जैसे– कर्नाटक, पश्चिम बंगाल व केरल में महिलाओं की अधिकतम सीमा को भी पार कर गई है। वैसे पंचायतों में महिलाये अपनी भूमिका निभाने के लिये उनके सामने अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक सीमायें रोड़ा अटका रही है। सामाजिक सीमाओं ने उन्हें कमजोर व असहाय बना दिया है। घर व समाज का परिवेश उन्हें अनुमति नहीं देता कि वे खुलकर पंचायतों में हिस्सा ले सके।

महिला सहभागिता का प्रभाव –

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्रान्तिकारी बदलाव 1992 के बाद देखने को मिला, जब 72वें और 73वें संविधान संशोधन के जरिये पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिये एक तिहाई सीटें आरक्षित कर दी गयी। इस कानून से ग्रामीण महिलाओं को पहली बार महसूस हुआ कि वे सत्ता में भागीदार हो सकती है। बिहार भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का एक ऐसा प्रान्त राज्य बन गया है जहाँ पंचायती राज तथा शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2006 में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके साथ ही निरक्षरता दर सबसे अधिक, सघन घनी आबादी और कुल प्रजनन दर अधिकतम वाले गंभीर समस्याग्रस्त बिहार जैसे राज्य में 8500 पंचायतों में 45000 से अधिक महिलायें चुनाव जीती है। जो कि एक अनुपम उदाहरण है। इनमें से ज्यादातर महिलाओं ने पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र में कदम रखा था। चुनाव में कदम रखा था। चूल्हे चौके तक सीमित दुनिया में रहने वाली इन महिलाओं के लिये नई दुनिया में सीमित रहने वाली इन महिलाओं के लिये नई भूमिका में खुद को साबित करना आसान नहीं था। फिर साक्षर न होने का अभिशाप लेकिन जब अधिकार मिले और सिर पर जिममेदारियों का बोझ पड़ा तो उनको धीरे–धीरे काम करने का ढंग भी आ गया। वे प्रशिक्षण दे रही है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं की सोच व समझ का विस्तार हुआ और वे पंचायतों में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभा रही है, जो यह ढांढस बंधाते है कि महिलायें भले ही अशिक्षित और अनेक समस्याओं से ग्रस्त है, फिर भी उन्होंने ग्रामीण

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 13 Issue 08, August 2023,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

समाज में नये उदाहरण प्रस्तुत किये है। भविष्य में जैसे–जैसे महिलायें प्रशिक्षण प्राप्त करने और पंचायतों की बैठकों में भाग लेने के माध्यम से इकटठा होगी, कम मुखर महिला प्रतिनिधियों पर मुखर महिलाओं का प्रदर्शनकारी प्रभाव पड़ेगा जो कि उनकी पंचायतों की भूमिका को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। 81वां संविधान संशोधन, जो संसद व विधान सभाओं में महिला आरक्षण के बारे में है, वह महिला पंचायत प्रतिनिधियों, महिला विधारकों व महिला सांसदों के बीच तारतम्य बढ़ायेगा। इससे ग्राम सभा से लेकर लोकसभा की ओर महिलाओं का एक ताना–बाना तैयार होगा, जो महिला पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी प्रभावी भूमिका निभाने में मददगार होगा। महिलाओं की शक्ति सम्पन्नता की राष्ट्रीय नीति, जो 1996 में बनाई गयी थी, महिलाओं की विभिन्न समस्याओं के निवारण का इलाज है। आने वाले समय में महिलाओं के स्वयं के प्रभाव से महिलाओं के विकास में कार्यरत विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों व बुद्धिजीवियों के सहयोग से उनके उद्देश्य कार्यात्मक रूप ले पायेंगे।

विधानसभाओं व लोकसभा के लिये भी जो लोग जीते है सारे स्नातकोत्तर (एम0ए0), विद्यानिधि (एम0फिल0), विद्यावारिधि (पी0एच0डी0) तो नहीं होते पर, मंत्री बनने के बाद काम चला ही लेते है। कानून बनने के बाद,नागरिक सामाजिक संगठनों की भूमिका सराहनीय रही है उन्होंने सदियों से दबे कुचले समाज की महिलाओं की खासतौर पर मदद की। चुनाव लड़के के लिए मानसिक रूप से तैयार करने औरचुनाव जीतने के लिये जागरूकता अभियान चलाने से लेकर चुनाव जीतने के बाद पंचायतों का काम करने का उन्होंने प्रशिक्षण दिया। पंचायतों में महिला आरक्षण ने जहाँ एक ओर महिलाओं की तकदीर बदलने का काम किया, तो वहीं दूसरी ओर इसने पंचायतों की तस्वीर भी पूरी तरह से बदल कर रख दी और राजनैतिक रूप से हाशिये पर पड़ी महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का काम किया है।

पारिवारिक सामंजस्य की आवश्यकता–

महिलाओं की राजनैतिक क्रियाशीलता हेतु पारिवारिक सदस्यों का सामंजस्य भी अति आवश्यक है।पति–पत्नी ही नहीं अपितु परिवार के अन्य सभी सदस्यों को एक दूसरे की प्रतिभा, योग्यता, दक्षता और कौशल को पहचानते हुए आपसी सौहार्द की भावना से उनकी निहित शक्तियों के प्रकटीकरण एवं उपयोग के अवसर प्रदान करते हुए प्रत्येक स्तर पर उदार, प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाकर यथासंभव उन्नति के पथ पर अग्रसर कराने का प्रयास करना चाहिये। अधिकारों के साथ–साथ उत्तरदायित्वों को भी वहन करना होगा। किसी होड़ प्रतिद्वंदिता या नारेबाजी से नहीं, वैचारिक शक्ति का संबल लेकर सुनियोजित ढंग से सामाजिक परिवर्तन के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहना होगा। फलतः महिला सशक्तिकरण के बहुआयाम महिलाओं के सम्पूर्ण व्यक्तित्व व सर्वांगीण विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा ऐसी अपेक्षायें है।

निष्कर्ष –

भारत वर्ष में पंचायती राज व्यवस्था के व्यावहारिक स्वरूप ने एक लम्बा समय तय किया है। प्राचीन इतिहास के अवलोकन से पता चलता है कि वैदिककाल में भी पंचायतों का अस्तित्व देखने को मिलता था। सन् 1947 में भारत के आजाद होने के पश्चात् पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास की दिशा में उल्लेखनीय कार्य प्रारम्भ किये गये, जिसमें महत्वपूर्ण कदम संविधान का 73वां संशोधन रहा जिसमें महिलओं के लिये स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़ने हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया। जिससे महिलाओं की नेतृत्व क्षमता में

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 13 Issue 08, August 2023,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

विकास परिलक्षित हुआ है। इस दिशा में महिला सशक्तिकरण हेतु किये गये प्रयास, महिलाओं में शिक्षा का बढ़ता स्तर, राजनीतिक जागरूकता तथा समाज द्वारा सहयोगी व्यवस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था का सकारात्मक परिणाम तथा महिलाओं की उनमें सहभागिता का विकास ग्रामीण भारत में धीरे–धीरे देखने को मिल रहा है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 13 Issue 08, August 2023,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

सन्दर्भ सूची

1.	आलोक चेतनादित्य	:	''महिला सशक्तिकरण हमारे समाज का सहज स्वरूप'' अंकः 08 मार्च 2018, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।
2.	गजेन्द्र गड़कर, वसुधा	:	''महिला शिक्षा एक अहम पहलू'', अंकः 8 मार्च 2016, केन्द्रीय समाज कलयाण बोर्ड, नई दिल्ली।
3.	नीरा देसाई (1987)	:	''सोशल चेन्ज इन गुजरात'', वोरा एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स प्रा0लि0, मुम्बई।
4.	नीरा देसाई	:	''वीमेन एण्ड सोसाइटी'', एन0एम0 डी0टी0 वीमेन्स यूनिवर्सिटी बम्बई।
5.	वीना पुनाचा	:	''जेन्डर एण्ड पालिटिक्स'', रिसर्च सेन्टर फार वीमेन्स स्टडीज, एस0एन0डी0टी0 वीमेन्स यूनिवर्सिटी मुम्बई।
6.	व्हौरा, आशारानी	:	''महिलायें और स्वराज'' प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
7.	शुक्ला, संध्या	:	''प्रगति पथ पर अग्रसर नारी'', अंक : 8 मार्च 2016, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली
8.	राजकुमार (2005)	:	''प्रगति के पथ पर अग्रसर नारी'', अंक : 8 मार्च 2016, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।
9.	राजकुमार (2003)	:	''नारी के बदलते आयाम'' अर्जुन पब्लिकेशन हाउस अन्सारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली।
10.	पवार, योगिता महेश	:	''महिला सशक्तिकरण : फिर भी रंजित अभी बाकी'', अंक :8 मार्च 2016 केन्द्रीय समाज कल्याण बोड, नई दिल्ली।
11.	पांडिया, चन्द्रकला (2005)	:	''धर्मशास्त्र और स्त्री विमर्श'' महिला अध्ययन एवं विकास केन्द्र, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
12.	पाण्डेय, प्रेम नारायण (2000)	:	''ग्रामीण विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन'', रावत पब्लिकेशन जयपुर एवं नई दिल्ली।
13.	परवीन विसारिया (1999)	:	लेवल एंड पैटर्न आफ फिमेल इम्प्लायमेंट'' 1911–1994, इन टी0एस0 पोपला एण्ड ए0एन0 शर्मा।
14.	भारत महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त (2011)	:	कुल भारत की जनगणना 2011, नई दिल्ली।

15.	सिंह, अनिल	:	''भारत में महिलाओं की स्थितिः कल और आज'', अंक 08 मार्च 2016, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।
16.	महीपाल (2017)	:	''पंचायत में महिलायें, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली।
17.	मंजुलता (2012)	:	''भारतीय सामाजिक समस्यायें,'' अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस।